

वनेत्तर क्षेत्रों में बंजर भूमि विकास

के लिए

प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण



राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड

---

बंजर भूमि विकास विभाग  
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय  
नई दिल्ली

केन्द्रीय क्षेत्र योजना

वनेतर क्षेत्रों में बंजर भूमि विकास के लिए  
"प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण"

## मार्गदर्शिकाएं

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड  
बंजर भूमि विकास विभाग  
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

वनेतर क्षेत्रों में बंजर भूमि विकास के लिए  
"प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण" की  
केन्द्रीय क्षेत्र योजना हेतु मार्गदर्शिकाएं

1. जुलाई, 1992 में बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना की गई थी और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन रखा गया। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को वनेतर बंजर भूमि के समेकित विकास विशेष रूप से ईंधन और चारे के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक किफायती ढंग से क्रमबद्ध आयोजना तथा कार्यान्वयन द्वारा कार्य पद्धतियाँ तैयार करने के लिए विशेष उत्तरदायी रखा गया।

1.1 राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड इसको सौंपे गए उत्तरदायित्व को पूरा करने की इसकी गतिविधियों के भाग के रूप में बंजर भूमि विकास के लिए नई और उचित प्रौद्योगिकियों के प्रसार हेतु अनुसंधान एवं विस्तार के अनुसंधान परिणाम प्रायोजित करता है।

2. योजना के उद्देश्य

(क) बंजर भूमि की विभिन्न श्रेणियों विशेषकर मुदा अपरदन, भूमि अवक्रमण, लवणीय क्षारीय, जलमग्न आदि से प्रभावित समस्याग्रस्त भूमि के विकास के लिए किफायती एवं प्रामाणिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

(ख) सतत आधार पर बंजर भूमि विकास के लिए प्रदर्शित मॉडलों के रूप में स्थानीय विशिष्ट व्यापक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित करना।

(ग) मत्स्य पालन, बतख पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित भूमि पर आधारित गतिविधियों के माध्यम से बंजर भूमि के विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करना।

(घ) नई और उचित प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में अनुसंधान परिणामों का प्रसार करना और बंजर भूमि विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना।

### 3. सहायता दी जाने वाली परियोजनाओं/गतिविधियों का स्वरूप

3.1 योजना के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :—

- (1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित/विकसित कृषि वानिकी मॉडलों से वनेतर क्षेत्रों में निजी/सामुदायिक बंजर भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत अनुसंधान/प्रदर्शन के लिए अपनाया जायेगा। ये मॉडल हैं : कृषि वन-वृक्ष रोपण, वन चरागाह, कृषि वन-वृक्ष बागवानी, कृषि वन चरागाह, ऊर्जा बागान, वन-वृक्ष बागवानी, धरों/बहुमंजली में लगाये जाने वाले पौधे और अन्य कृषि वानिकी प्रणालियाँ।
- (2) पेड़ों, झाड़ियों, घास, फलियों आदि का रोपण जिनमें नाइट्रोजन पैदा करने की क्षमता होती है, वे तेजी से बढ़ती हैं, और उनके बहु आयामी प्रयोग होते हैं।
- (3) उपरोक्त (1) पर रोपण के अलावा भूमि आधारित आर्थिक कार्य-कलाप जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, सुअर पालन, बतख पालन आदि भूमि की क्षमता को देखते हुए किये जा सकते हैं।
- (4) भूमि तथा नदी संरक्षण, खड्ड बनाने, रोकबांध, जल एकत्रीकरण ढांचों में ढ बसाने, बंध लगाने, पानी रोकने आदि जैसे उत्पादक उपायों के जरिए जल एकत्र करना और उसमें वृद्धि करना।
- (5) बंजर भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु वी०ए०एम०, टिशु पालन बीजांकुर, वनस्पति विस्तार आदि जैसी नई और प्रवर्तित तकनीकों का उपयोग।
- (6) ग्रामाणिक तथा नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार हेतु विस्तार एवं प्रशिक्षण उपायों की आवश्यकता।

### 4. वित्तीय सहायता की सीमा एवं पद्धति

इस केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं अलाभकारी एजेंसियों या ग्राम पंचायतों सहित सरकारों/सरकारी संस्था/सरकारी उपक्रमों के स्वामित्व वाली भूमि पर आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शतप्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

किसान/निगमित क्षेत्र की निजी भूमि पर चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए परियोजना की लागत राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड और किसान/निगमित निकाय के बीच 60 : 40 के अनुपात में बांटी जायेगी।

4.1 प्रयोजन जिसके लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी :

योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता इस उद्देश्य के लिए मुहैया की जाएगी :—

- प्रौद्योगिकी विकास/अनुसंधान
- प्रायोगिक परियोजनाएं
- किसानों के खेतों/ग्राम समुदाय/अन्य संस्थाओं की भूमि पर स्थाई प्रौद्योगिकियों का क्षेत्रीय परीक्षण
- विस्तार एवं प्रशिक्षण

4.2 प्रौद्योगिकी विस्तार योजना अनुसंधान/चालू अनुसंधान परियोजनाओं/विस्तार को बढ़ावा देने से सम्बन्धित है। अतः ऐसी परियोजनाओं को सख्त मानदण्डों विशेषकर लागत मानदण्डों आदि द्वारा निर्धारित करना सम्भव या उचित नहीं है। प्रत्येक परियोजना पर निम्न आधार पर विचार तथा स्वीकृत की जाएगी :—

- (क) किसी भी ईट और गारे से बने ढांचे यानी (स्थायी ढांचे के) उपकरणों (उन तत्वों सहित जो विशिष्ट अनुसंधान प्रयोजन के लिए हैं) की सहायता नहीं ली जाएगी।
- (ख) परियोजना की संदर्श नीति होनी चाहिए और वह समयबद्ध होनी चाहिए।
- (ग) योजना के अन्तर्गत सामान्य रूप से कोई स्थाई स्टाफ स्वीकृत नहीं होना चाहिए।

4.3 स्टाफ एवं आकस्मिक व्यय, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने, विस्थापन, पी०श्र०ए०ए०, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता आदि पर लागत "ऊपरी खर्च" के अन्तर्गत उपलब्ध करानी चाहिए और सामान्य तौर पर परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक निर्धारित होना चाहिए।

4.4 लवणीय, क्षारीय, बीहड़, जलमग्न क्षेत्रों आदि जैसी समस्याग्रस्त भूमि का उपचार। स्थाई वनस्पति उपलब्ध कराने के लिए मृदा उपायों हेतु कुछ अतिरिक्त निवेश के साथ विशेष वित्तीय

प्रावधान प्रस्तुत करना। तथापि वित्तीय आवश्यकता परियोजना से परियोजना तक अलग-अलग होगी और परियोजना के प्रोत्साहनकर्ता द्वारा इसके लिए समर्थन देना होगा।

4.5 **संगठनात्मक सहायता** : यह परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए मुहैया कराया जाएगा। आवश्यक अनुसंधान स्टाफ को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड से वित्तीय सहायता कम से कम वहन की जायेगी।

4.6 रिपोर्ट और सचित्र पत्रिका परियोजना द्वारा वार्षिक आधार पर तैयार की जायेगी और इस गतिविधि की लागत ऊपरी व्यय के प्रावधान से वहन की जायेगी।

4.7 **कार्य में ली जाने वाली भूमि** : केन्द्र तथा राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमित क्षेत्र, विश्वविद्यालय, पंचायतों, किसानों आदि की निजी भूमि की बनेतर बंजर भूमि ली जायेगी।

5. **कार्यान्वयन एजेंसियाँ** : योजना प्रामाणिक प्रौद्योगिकियों के विकास/प्रदर्शन तथा प्रौद्योगिकी स्कीम या किसी अन्य संस्था द्वारा तैयार की गई उचित प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु ली गई अनुसंधान/व्यापक परियोजनाओं का उत्तरदायित्व बांटने हेतु सरकारी एजेंसियों, कृषि विश्वविद्यालयों, स्थापित एवं प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को शामिल करने पर जोर देती है।

## 6.0 प्रशिक्षण एवं विस्तार

6.1 प्रशिक्षण बनेतर क्षेत्रों में अनुपजाऊ बंजर भूमि के लिए भूमि उपयोग प्रौद्योगिकी को अपनाना पहले किसानों की क्षमता और उनकी योग्यता पर निर्भर करता है कि वह भूमि उपयोग की नई और उन्नत उपायों का इस्तेमाल करें। अतः किसानों और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण योजना का समेकित हिस्सा होगा।

6.2 राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड द्वारा कम से कम दो प्रशिक्षण और उन्मुख पाठ्यक्रम एक किसानों और दूसरा अधिकारियों के लिए अतिरिक्त लागत पर निम्न मानदण्डों के आधार पर निधिक किया जायेगा :—

- (1) 100 व्यक्तियों तक प्रतिबंधित, 5 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 75 रुपए की सीमा तक प्रशिक्षार्थी का व्यय तथा कुशल व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण सामग्री फीस जैसी, सीधी लागतों से सम्बन्धित किसानों के लिए प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम को वित्तीय सहायता दी जायेगी। प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम अलग से शुरू नहीं किए जाएंगे

और यह उन्हीं परियोजनाओं से जुड़े हैं जहां बंजरभूमि विकास प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया जा रहा है।

- (2) कार्यान्वयन एजेंसी तथा अन्य शामिल एजेंसियों के विस्तार अधिकारियों/स्टाफ को प्रशिक्षण खर्चा 20 व्यक्तियों की सीमा तक 5 दिन के लिए 100 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जायेगा।
- (3) वार्षिक रूप से उच्च श्रेणी के उत्पादन तथा चरागाह/बागवानी की अन्य उच्च श्रेणी, मृदा-निर्माण की वार्षिक प्रजातियों—जोजोबा जैसे पौध रोपण सामग्री का योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्रस्ताव की उत्कृष्टता के आधार पर वित्तीय पोषण दिया जायेगा। ऐसी नई परियोजनाओं के लिए लागत की कोई शर्त निर्धारित नहीं की जा सकती।

परियोजना की अवधि सामान्य तौर पर 3 से 5 वर्षों तक की होगी।

## 7. निधियों की स्वीकृति और रिजर्व :

- (1) परियोजना को प्रोत्साहन देने वाली संस्था निम्न मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत परियोजना का संक्षिप्त विवरण देगी।
  - संस्था/तकनीकी कार्मिकों आदि के सम्बन्ध में ब्यौरा
  - योजना के उद्देश्य
  - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के उद्देश्य से प्रस्ताव का सम्बन्ध
  - इस विषय पर किसी दूसरी एजेंसियों द्वारा किया गया पिछला कार्य
  - परियोजना परिणामों का उपयोग/प्रतिपूर्ति
  - वर्षवार परियोजना का भौतिक एवं वित्तीय ब्यौरा
  - भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में ब्यौरा
  - परियोजना की निगरानी एवं मूल्यांकन
  - भौतिक रूप में सम्भावित परिणाम

(2) प्रस्ताव दो प्रतियों में बंजर भूमि विकास विभाग, ग्रामीण मंत्रालय, एन०बी०ओ० बिल्डिंग, जी० विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) परियोजना के अनुमोदन के लिए निम्न पद्धति अपनाई जाएगी :—

(क) परियोजना की यहां पहले जांच होगी कि वह इन मार्गदर्शिका को पूरा करती है कि नहीं। जांच के आधार पर अगर जरूरी है तो विचार-विमर्श या पत्र-व्यवहार के माध्यम से आगे का ब्यौरा/स्पष्टीकरण लिया जायेगा।

(ख) जब परियोजना सभी रूपों में पूरी होगी तो उसे सम्बन्धित स्वीकृति समिति को विचार करने और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) दो स्वीकृति समितियां होंगी जो नीचे दी गई हैं :

(1) **स्वीकृति समिति**—10 लाख रुपए या उसे ऊपर के परिव्यय की परियोजनाओं के लिए स्तर-I

अतिरिक्त सचिव	—	बंजर भूमि विकास विभाग अध्यक्ष
संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार	—	बंजर भूमि विकास विभाग सदस्य
संयुक्त सचिव	—	बंजर भूमि विकास विभाग सदस्य
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि निदेशक (प्रौद्योगिकी विस्तार)	—	बंजर भूमि विकास विभाग सदस्य

(2) **स्वीकृति समिति**—10 लाख रुपए से कम परिव्यय की परियोजनाओं के लिए स्तर-II

संयुक्त सचिव	—	ब०भू०वि०वि० अध्यक्ष
प्रतिनिधि	—	भा०कृ०अनु०परि० सदस्य
उपसचिव	—	ब०भू०वि०वि० सदस्य
वन उपमहानिरीक्षक	—	ब०भू०वि०वि० सदस्य
निदेशक (प्रौद्योगिकी विस्तार)	—	ब०भू०वि०वि० सदस्य

अगर आवश्यक हो तो समिति तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है।

(3) परियोजना के अनुमोदन के बाद प्रौद्योगिकी विस्तार अनुभाग स्वीकृति जारी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृति में शर्तें और अनुबन्ध को पूरी तरह से अनुपालन किया गया है। परियोजना यानि तीन या पांच वर्षों, जैसा भी मामला होगा, की पूरी परियोजना अवधि के लिए अनुमोदित की जायेगी। राशि वर्ष-दर-वर्ष या प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में जो विशेष निर्णय लिया गया हो, के आधार पर रिलीज़ की जायेगी।

(4) पहली किस्त के रिलीज़ के बाद, बाद की किस्तों को, अनुमोदन के समय परियोजना में दी गई भौतिक और वित्तीय निष्पादन के संतोषजनक स्तर के आधार पर रिलीज़ की जायेगी।

## 8. निगरानी एवं मूल्यांकन

(1) कार्यान्वयन एजेंसी अनुमोदित कार्यक्रम (परिशिष्ट-II) के सम्बन्ध में जी०एफ०आर० 1963 के निर्धारित फार्म संख्या 19(ए) में सक्षम प्राधिकारी के राशि उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखे के परीक्षित विवरण सहित पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त अर्द्ध-वार्षिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) परियोजना के लिए सम्बन्धित एजेंसी अलग खाता खोलेगी जो इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड और सी०ए०जी० के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(3) परियोजना पूरी होने पर सम्बन्धित एजेंसी प्राप्त परिणामों की पूरी परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा तैयार करेगी और रिपोर्ट (तीन प्रतियों में) परियोजना पूरी होने के बाद (परिशिष्ट-III) तीन महीनों के अन्दर-अन्दर राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को प्रस्तुत करे।

(4) कार्यान्वयन एजेंसी अपनी आंतरिक पुनरीक्षण तथा सूचना प्रणाली तैयार करेगी। छः महीने में एक बार परियोजना की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए तकनीकी समिति गठित की जाएगी।

## 9. प्रलेख एवं प्रकाशन

महत्वपूर्ण परिणामों/डाटा और मॉडलों को संकलित करके, वृत्त-चित्र बनाकर छपाकर राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा व्यक्तियों और उपयोगकर्ता एजेंसियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

## परिशिष्ट-I

## की अवधि के लिए अर्द्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

1. शीर्षक . . . . .
2. स्थान . . . . .
- 2.1 समयावधि . . . . .
3. कार्यान्वयन एजेंसी का नाम . . . . .
4. समस्या की पहचान . . . . .
5. उद्देश्य . . . . .
- 5.1 . . . . .
- 5.2 . . . . .
- 5.3 . . . . .
6. . . . .

गतिविधि	भौतिक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	स्वीकृति	वहन किया जाने वाला खर्च

6.1				
6.2				
6.3				
6.4 प्रशिक्षण		पाठ्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या	किसान अधिकारी

- 6.5 प्रचार
  - टी०वी०/रेडियो/वीडियो
  - पैम्फलेट/ब्रोशर्स
  - अन्य

7. निगरानी
  - 7.1 उर्वरता में सुधार
  - 7.2 नमी में सुधार

- 7.3 चन्द्रातप में सुधार
- 7.4 विभिन्न किस्म के बायोमास की पैदावार
- 7.5 रोजगार सृजन . . . . . नियमित

दैनिक

8. सामान्य मूल्यांकन
9. टिप्पणी यदि कोई

हस्ताक्षर . . . . .  
पद . . . . .  
दूरभाष कार्यालय . . . . .  
दूरभाष आवास . . . . .

## परिशिष्ट-II

परियोजना समापन रिपोर्ट को बनाने के लिए फार्म—एक रूपरेखा

1. परिभाषा

2. विषय

समस्याग्रस्त भूमि की बहाली के लिए  
बायोमास की उत्पादकता  
में वृद्धि करना

3. भारतीय अनुभव

पारम्परिक अनुसंधान एवं विकास परिणाम

4. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड—भारतीय कृषि

अनुसंधान परियोजनाएं

उद्देश्य—

पारिस्थितिकी

सामाजिक-आर्थिक

वर्गीकरण—

भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना के परिणाम का

पुनरीक्षण

पारम्परिक प्रणालियों का पुनरीक्षण

बंजर भूमि की किस्मों को जानना

नेट-वर्क

स्थितियां

कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्र

भूमि स्वामित्व

कार्यन्वयन एजेंसी

सहयोग देने वाली एजेंसी/एजेंसियां

दिखाई गई प्रमुख समस्याग्रस्त भूमि

ऋवर किये गये प्रमुख सामाजिक-आर्थिक पदलू

मॉडल

किस्में

पौधों का संयोजन

अपनाई गई विधियां

(जिसमें फसल बोते समय क्यारियों और उनके बीच दशनि वाला विवरण शामिल है।)

अन्य गतिविधियां

(पौधों और अन्य सहयोगी फसलों से सम्बन्धित)  
निगरानी किए गए मानदण्ड

5. निष्पादन

स्थापना एवं विकास

उत्पादकता

अनुकूलता

सुधारक प्रभाव

लागत और लाभ

रोज़गार सृजन

6. प्रशिक्षण एवं जागरूकता

प्रशिक्षण

किसानों का पाठ्यक्रम

सरकारी पाठ्यक्रम

अन्य लक्षित समूह

(यथा औरतें, गैर-सरकारी संगठन स्वैच्छिक एजेंसियां आदि)

जागरूकता

कैम्पस

प्रकाशन सामग्री

फिल्में

रेडियो/टेलीविजन कार्यक्रम

7. प्रवृत्तियों को उभारना

प्रौद्योगिकी

सामाजिक

आर्थिक

8. भविष्य की उन्नति और क्षेत्र जिनकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी की खामियां

प्रणाली की कमियां

वित्तीय आवश्यकता

सेवाओं की आवश्यकता



## प्रस्ताव भेजने के लिए प्रपत्र

## (मार्गदर्शिकाओं का पैरा सं० 7)

1. परियोजना शीर्षक :  
(परियोजना की संक्षिप्त रूपरेखा)
2. कार्यान्वयन एजेंसी :  
(संवर्धक का नाम डाक पता सहित)
3. पंजीकरण सं० एवं तारीख :  
(गैर-सरकारी संगठन के मामले में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति)
4. परियोजना अवधि :  
(वित्तीय वर्ष)
5. परियोजना के उद्देश्य :  
(केवल दो या तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य वांछित)
6. भौतिक योजना :  
(गत निधिवार एवं वर्षवार चरणीकरण)
7. भूमि का स्वामित्व :  
—ग्राइवेट किसान  
—पंचायत/ग्राम सभा  
—सरकारी  
—संस्थागत
8. समस्याग्रस्त बंजरभूमि की प्रकृति :  
—खारा/क्षारीय  
—बीहड़  
—खान अवशिष्ट  
—जल जमाव वाले, आदि

9. स्थान :  
(राज्य, जिला, तालुका, गांव, मानचित्र के साथ)
10. लागत अनुमान :  
(समग्र व वर्षवार)
11. औचित्य :  
—समस्या का यथा तथ्य पता लगाना  
—अवधारणा की जांच  
—उत्तर दिये जाने वाले प्रश्न  
—इस परियोजना/अध्ययन के परिणामस्वरूप हल होने वाली समस्यायें
12. परियोजना अध्ययन की संगतता :  
(ये परिणाम किस प्रकार बंजर भूमि विकास नीति के निर्धारण एवं कार्यान्वयन को बेहतर बनाने में संगत होंगे, कार्य योजना अथवा कार्यक्रम)
13. नीति एवं तरीका :  
(समस्या अभिमुख सीधी सुपुर्दगी, समयबद्धता, तकनीकी बैक्सट्रीपिंग की गुणवत्ता, लागत स्थायित्व)
14. डाटा एकत्रीकरण और विश्लेषण के ब्यौरे :
15. स्टाफ पैटर्न :  
—सहायक स्टाफ की संख्या और प्रकार, कितनी अवधि के लिए और किस वेतनमान में)
16. संस्था/एजेंसी का अंशदान :  
(संस्था/संगठन द्वारा परियोजना में मदवार प्रस्तावित अंशदान की अधिकतम सीमा)
17. स्टाफ का बायो-डाटा :  
—परियोजना कार्यान्वयन से जुड़ने वाले परियोजना निदेशक/इनवेस्टिगेटर तथा अन्य वरिष्ठ स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुसंधान अनुभव

18. इस सम्बन्ध में अब तक किये गये कार्य :
19. संक्षिप्त अंशदान  
(जो परियोजना विद्यमान निकाय को देगा) :
20. परिणामों को अन्यत्र भी लागू किया जाना :
21. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो :

---

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदबाद द्वारा मुद्रित, 1995

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, 1995